संख्या-13/2015/4091/71-2-14-जी0एन-01/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान,
नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 जनवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के पत्र संख्या-परि0निदे0/कैम्प/19/2014 दिनांक 10 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-3869/17-2-14-जी0एन0-1/2014 दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 49,99,667/- (रूपया उन्चास लाख निन्यानबे हजार छः सौ सरसठ मात्र) को स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3- धनराषि को कोषागार से परियोजना निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

4- यह धनराशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है। अन्य मद में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0370-सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-ई-3/136/दस-2014, दिनांक 20 जनवरी, 2015 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2015/4091(1)/71-2-14-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, गोतमबुद्धनगर।
3. महानिदेशक/वित्त अधिकारी चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
6. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन को चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।